क्षेत्रीय कार्यालय बिहार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, पटना-800001
फ़ोन नं :-0612-2533404, फैक्स:- 0612-2533314 ई मेल: rd-bihar@esic.in

नियोजकों/ प्रधान नियोजकों/ ठेकेदारों की सूचना के लिए

सभी सम्बंधित नियोजकों/ ठेकेदारों/ प्रधान नियोजकों (जैसे पब्लिक सेक्टर इकाइयों, सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, रेलवे आदि) को सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार ने क.रा.बी. अधिनियम,1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत बिहार राज्य के निम्नलिखित 22 जिलों के 'जिला मुख्यालयों के नगरपालिका सीमा' के अंतर्गत पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्रों को 01.04.2018 से क.रा.बी. योजना के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित किया है :-

क्रम सं0	जिला	क्रम सं0	जिला
1	औरंगाबाद	12	लखीसराय
2	अररिया	13	मधेपुरा
3	अरवल	14	मधुबनी
4	बांका	15	नवादा
5	पूर्वी चंपारण	16	पूर्णिया
6	गोपालगंज	17	सहरसा
7	जमुई	18	शेखपुरा
8	जहानाबाद	19	शिवहर
9	कैमूर	20	सिवान
10	खगड़िया	21	सूपौल
11	किशनगंज	22	पश्चिमी चंपारण

सभी कारखानों तथा स्थापनाओं (पब्लिक सेक्टर इकाइयों आदि सहित) जैसे दुकानों (निर्माण एजेंसियों, शोरूम, सर्विस एवं मैनपावर प्रदाता सहित), होटलों, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिश्मेंट, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों आदि, जिनमें (उपर्युक्त जिला मुख्यालयों में) 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, के नियोजक क. रा. बी. निगम के पोर्टल www.esic.in पर जाकर अपनी इकाइयों को क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के नियम 10 बी के साथ पठित क.रा.बी.अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 2 (क) के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकृत करा सकते हैं. वर्तमान में 13 जिलों में क.रा.बी.निगम के शाखा कार्यालय (शा0 का0) स्थित हैं तथा नियोजक पंजीकरण के समय सुविधानुसार अपने स्थान से निकटतम किसी शाखा कार्यालय को चुन सकते हैं (जैसे औरंगाबाद के नियोजक डालमियानगर को चुन सकते हैं) ताकि अभी के लिए इन्हीं शाखा कार्यालयों से क.रा.बी.निगम की सेवाएँ प्रदान की जा सकें. इसके बाद वे अपने कर्मचारियों को उपर्युक्त पोर्टल पर पंजीकृत करें तथा 18 औषधालयों में से कोई एक औषधालय (डिस्पेंसरी) या पैनल डॉक्टर में से किसी एक डॉक्टर का ऑनलाइन चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें क.रा.बी.योजना के अंतर्गत प्राप्त चिकित्सा सेवाओं का उपभोग करने हेतु ई-पहचान कार्ड जारी करें. वर्तमान में यदि किसी औषधालय या पैनल डॉक्टर से नहीं जुड़े हैं तो भी पंजीकृत कर्मचारी क.रा.बी.(सामान्य) विनियम,1950 के नियम 96(क)के अनुसार प्राथमिक तथा द्वितीयक चिकित्सा देखभाल/ इलाज के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति **(reimbursement)** प्राप्त कर सकेंगे हालाँकि चिकित्सा देखभाल

सुविधा के लिए आगे की व्यवस्था की जा रही है. क.रा.बी. आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना में/ के माध्यम से, जो हकदार हैं, उनके इलाज की सुविधा बिहार राज्य के सभी व्याप्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.

किसी स्पष्टीकरण/ सहायता के लिए नियोजक नजदीकी क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय (**www.esicbihar.in**) या क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में **ई मेल:** rd-bihar@esic.in, **फ़ोन नं० 0612-2521928 तथा 1800 3456 190** पर संपर्क करें.

अरविन्द कुमार
क्षेत्रीय निदेशक
क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना